छ.ग.राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित

ग्राम – उरला, पो–बी0एम0वा0चरौदा, जिला दुर्ग (छ0ग0)

निविदा प्रपत्र

सहपत्रों की सूचीः–

क्र.	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1.	समाचार पत्र में प्रकाशित निविदा	1
2.	निविदा प्रपत्र विक्रय स्थान एवं दिनांक	2
3.	निविदा की शर्ते	3 4
4.	मार्ग विवरण	5
5.	टेण्डर फार्म	6 7
6.	दुग्ध वितरण हेतु अनुबंध	8 12

कार्यालय–छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या.

ग्राम–उरला,पोस्ट–बी.एम.वाय.चरोदा जिला–दुर्ग (छ.ग.)

निविदा क्रमांक / 2982 / छगदुमसं / क्षेत्र संचा / TEN. 2018–19 लेटर / 2018 उरला, दिनांक 13.07.2018

।। दुग्ध संकलन / वितरण / मिल्क टेंकर परिवहन निविदा सूचना ।।

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित के मुख्य दुग्ध संयंत्र उरला तथा दुग्ध महासंघ से सम्बद्ध दुग्ध शीत केन्द्र – बसना, बिलासपुर, धमतरी भाठागांव, अम्बिकापुर, पखांजूर, रायगढ़, जगदलपुर एवं समस्त बल्क मिल्क कुलर ईकाईयों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रो से दुग्ध संकलन कार्य के लिए तथा विभिन्न दुग्ध वितरण मार्गो पर विभिन्न क्षमता के वाहनों के लिए एक वर्ष की अवधि (01.09.2018 से 31.08.2019 तक) एवं 5000 लीटर क्षमता के मिल्क टेंकरों एवं विभिन्न दुग्ध वितरण मार्गो पर इन्सुलेटेड़ वाहनों के लिए दो वर्ष की अवधि (01.09.2018 से 31.08.2020 तक) के लिये किराये बाबत् सीलबंद निविदायें आमंत्रित की जाती है। दुग्ध संयंत्र दुग्ध शीत केन्द्रो पर निविदा प्रपत्र रू. 500.00 की दर पर उपलब्ध है, जिनको दिनांक 14.08.2018 तक दोपहर 2 बजे तक ग्राम उरला पोस्ट बी.एम.वाय. चरोदा जिला–दुर्ग में जमा करना होगा।

प्राप्त समस्त निविदायें दिनांक 14.08.2018 को दोपहर 3:00 बजे कार्यालय में खोली जायेगी। विस्तृत विवरण दुग्ध महासंघ की वेबसाइट www.cgcoopdairyfed.in पर उपलब्ध है।

महाप्रबंधक (क्षेत्र संचालन)

कार्यालय–छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित

ग्राम– उरला,पोस्ट– बी.एम.वाय.चरोदा जिला– दुर्ग (छ.ग.)

।। दुग्ध वितरण परिवहन हेतु प्रकाशित निविदा ।।

1	निविदा कार्य– दुग्ध वितरण परिवहन बाबत्	
2	निविदा प्रपत्र का क्रय मूल्य	राशि रू. 500/– (अक्षरी पांच सौ रूपयें मात्र)
3	निविदा अवधि	दिनांक 01.09.2018 से 31.08.2020 तक
4	निविदा प्रपत्र विक्रय स्थान एवं दिनांक	छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित के प्रशासनिक भवन (विपणन शाखा) कार्यालयीन समय में 18.07.2018 से 14.08.2018 दोपहर 12.00 बजे तक
		दुग्ध शीत केन्द्र– बिलासपुर,अम्बिकापुर, रायगढ़ में 18.07.2018 से 13.08.2018 तक
5	निविदा जमा	मुख्य दुग्ध संयंत्र उरला में दिनांक 14.08.2018 को दोपहर 2.00 बजे तक
6	निविदा खोलना	मुख्य दुग्ध संयंत्र उरला में दिनांक 14.08.2018 को दोपहर 3.00 बजे

उप महाप्रबंधक (विपणन)
छत्तीसगढ़ा राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित

कार्यालय–छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या.

ग्राम–उरला,पोस्ट–बी.एम.वाय.वरोदा जिला–दुर्ग (छ.ग.)

निविदा की शर्तें

(1) निविदा निहित प्रपत्र पर ही मान्य होगी, प्रत्येक दुग्ध विपणन मार्ग कमांक एवं मार्ग विवरण के वाहन हेतु अलग–अलग निविदा प्रस्तुत करना होगा। निविदाकार को मार्ग की क्षमतानुसार निर्धारित वाहन उपलब्ध करानी होगी ।

(2) निर्धारित दिनांक एवं समय के पश्चात् निविदा मान्य नहीं होगी ।

(3) प्रत्येक निविदा प्रपत्र के साथ अर्नेस्ट मनी राशि रू. 5,000.00 का रसीद/डी.डी. छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित के नाम से देय हो, संलग्न करना होगा। **"नगद राशि जमा नही होगी"**

(4) बिना धरोहर राशि के प्राप्त निविदा/निविदायें मान्य नहीं होगी । ड्राफ्ट आवश्यक रूप से संलग्न करना होगा।

(5) निविदा लिफाफा ठीक से मुहरबंद होना चाहिये ।

(6) निविदा प्रपत्र पूर्ण बिना काटपीट के स्वच्छ अक्षरों में होना चाहिए, जिसे बन्द लिफाफे में एवं बन्द लिफाफे के ऊपर कार्य विवरण अर्थात निविदा कमांक एवं दुग्ध विपणन मार्ग कमांक हेतु निविदा आवश्यक रूप से अंकित कर जमा करें । यदि किसी प्रकार की निविदा भरते वक्त काटपीट की जाती है तो वहां निविदाकार का हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक होगा।

(7) निविदा में दर प्रति कि.मी.,/प्रति ट्रिप, माडल, वाहन का प्रकार इत्यादि की भी जानकारी मांगी गयी है । दरें प्रति किलोमीटर हैं या प्रति ट्रिप स्पष्ट उल्लेख किया जावे तथा निविदाकार का पता एवं फोन नम्बर भी आवश्यक रूप से अंकित करना होगा ।

(8) निविदाकार को वाहन मालिकी हक का होना आवश्यक होगा । इस हेतु पंजीयन की छायाप्रति संलग्न करें। इसे मूल प्रति से सत्यापित कराना होगा।

(9) वाहन से संबंधित रोड टेक्स इत्यादि भरा हुआ होना चाहिए एवं वाहन बीमाकृत होना चाहिए । अन्य दस्तावेज भी नवीनीकृत होने चाहिये। स्वीकृत होने पर संपूर्ण निविदा अवधि में वाहन एवं चालकों के समस्त वांछित दस्तावेज अद्यतन नवीनीकृत रखना निविदाकार की जिम्मेवारी होगी ।

(10) निश्चित समय में स्वीकृत दर आदेश देने के पश्चात 03 दिवस में वाहन कार्यालय में निरीक्षण हेतु लाना होगा। पर कार्य प्रारंभ नहीं करने पर या निविदा की शर्तो का उल्लंघन होने पर अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी।

(11) सफल निविदाकार को जमानत राशि के रूप में कुल रू. 20,000.00 धरोहर राशि छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित में जमा करानी होगी। इसमें रू. 15,000.00 नगद से और रू. 5,000.00 निविदा के साथ जमा की गई अमानत राशि शामिल हैं। धरोहर राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नही होगा।

(12) सामान्य वाहन हेतु टेण्डर अवधि एक वर्ष की होगी। इन्सुलेटेड वाहन की टेण्डर अवधि 2 वर्ष की होगी। इन्सुलेटेड वाहन को प्राथमिकता दी जावेगी। निविदा अवधि समाप्ति के बाद प्रबंध संचालक का यह अधिकार होगा कि वह ठेका अवधि तीन या अधिक माह तक समान दर पर बढा सकेंगे।

(13) अस्वीकृत निविदा की धरोहर राशि आमंत्रित निविदा के परिप्रेक्ष्य में अंतिम निर्णय होने के तीन माह पश्चात् बिना ब्याज के रेखांकित चेक द्वारा वापसी योग्य होगी।

(14) निविदा के संदर्भ में अनुबन्ध की शर्तें एवं निविदा निहित प्रपत्र में संलग्न करनी होगी।

(15) संचालक मण्डल अथवा महासंघ में कार्यरत कर्मचारी या निकट संबंधी की निविदायें आपत्ति प्राप्त होने पर स्वीकृत नहीं की जायेगी । निविदा स्वीकृत होने के बाद संबंध ज्ञात होने पर जॉच कर निविदा निरस्त कर दी जावेगी तथा प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी ।

(16) ऐसे वाहन ठेकेदार जो गत वर्ष अनुबंधित किये गये थे तथा जिनका कार्य संतोषप्रद नहीं रहा, की निविदा, कमेटी/प्रबन्ध संचालक द्वारा अमान्य की जा सकेगी । इस हेतु किसी भी प्रकार का कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा ।

(17) निविदा को आंशिक/पूर्णरूप से स्वीकृत या अस्वीकृत करने का समस्त अधिकार प्रबन्ध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या. के पास सुरक्षित रहेगा ।

(18) आयकर व व्यवसाय कर आदि की राशि परिवहन ठेकेदार से काटी जावेगी। साथ ही समय–समय पर सरकार द्वारा प्रसारित नियम आदेश नियमानुसार लागू किये जावेंगे एवं तदनुसार कटौती की जावेगी।

(19) अनुबंध करते समय द्वितीय पक्ष को स्टेट बैंक आफ इंडिया का बचत खाता कमांक एवं स्थायी खाता नंबर (पैन) कार्ड की सत्यापित छायाप्रति जमा करना आवश्यक होगा।

(20) पृथक–पृथक मार्ग पर एक ही वाहन कमांक की निविदा प्राप्त होने तथा स्वीकृत होने पर दुग्ध महासंघ को यह अधिकार होगा की वह किस मार्ग की निविदा स्वीकृत करें। यह निर्णय निविदाकार को मान्य होगा।

निविदा स्वीकृत होने पर 100 रू. के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर के साथ एवं अन्य शर्ते वाटर मार्क पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना होगा।

(22) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 या अन्य वैधानिक प्रावधानो के अंतर्गत आवश्यक होने पर लाइसेंस प्राप्त करने का उत्तरदायित्व निविदाकार का होगा। वाहन संचालन अनुबंध प्रारंभ होने के 1 माह के भीतर लाइसेंस प्राप्त कर इसकी छायाप्रति दुग्ध महासंघ में प्रस्तुत करनी होगी।

(23) वाहन ठेकेदार को वाहन अनुबंध प्राप्त होने के 1 माह के अंदर दुग्ध महासंघ द्वारा निर्धारित प्रारूप में दुग्ध महासंघ के उत्पादो का विज्ञापन अनुबंधित वाहनो पर लिखवाना होगा। साथ ही दुग्ध विपणन वाहन पर दुग्ध महासंघ का सम्पर्क मोबाईल नंबर लिखवाना होगा।

(24) अनुबंधित वाहन में ईधन के रूप में डीजल का ही उपयोग किया जावेगा।

(25) समस्त न्यायालयीन कार्य का कार्यक्षेत्र रायपुर ही रहेगा।

(26) यदि पूर्व में किसी वाहन ठेकेदार को प्रतिबंधित अथवा काली सूची (ब्लेक लिस्ट) में डाला गया है तो वह निविदा नहीं भर सकेगा। साथ यदि उसके द्वारा निविदा प्रस्तुत की गई है तो उस पर विचार नही किया जावेगा तथा जमा अर्नेस्ट मनी राजसात की जा सकेगी।

(27) दुग्ध विपणन मार्ग पर पड़ने वाले टोल टेक्स की राशि निविदाकार द्वारा वहन किया जावेगा।

(28) अनुबंध अवधि में किसी विशेष परिस्थिति में प्रथम न्यूनतम निविदा दर वाले द्वारा वाहन नही लगाया जाता या अनुबंध अवधि में बीच में वाहन बंद किया जाता है तो द्वितीय न्यूनतम दर वाले निविदाकार को वाहन चलाने हेतु आदेश किया जा सकेगा।

(29) रास्ते में वाहन खराब होने पर वाहन ठेकेदार को अपनी जिम्मेदारी तथा व्यय पर वैकल्पिक व्यवस्था द्वारा दूध/दुग्ध पदार्थ को निश्चित जगह पर निर्धारित समय पर पहुँचना होगा। ऐसी परिस्थिति में हुए नुकसान की कोई प्रतिपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित द्वारा नहीं की जावेगी।

(30) वाहन ठेकेदार से की जाने वाली वसूली राशियों को वाहन ठेकेदार के पेंडिंग बिल या धरोहर राशि से वसूल करने का संपूर्ण अधिकार प्रबंध संचालक को होगा।

(31) विशेष परिस्थितियों मे दूध की मात्रा कम होने पर अस्थाई तौर (अपरिहार्य कारणों से) पर दुग्ध मार्ग को बंद किया जा सकता है । ऐसी परिस्थिति में कोई किराया/क्लेम देय नहीं होगा।

(32) कैन/क्रेटों के लेखेजोखे तथा रखरखाव हेतु वाहन ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा।

(33) यदि भारत सरकार द्वारा डीजल की दरों में बढोतरी/कमी की जाती हैं तो उसी अनुपात में महासंघ द्वारा वाहन ठेकेदार की परिवहन दर मे संशोधन किया जावेगा।

(34) यदि वाहन ठेकेदार अपनी निविदा अवधि पूर्ण होने से पूर्व वाहन संचालन बंद करता है, तो अनुबन्ध अवधि में वैकल्पिक वाहन लगाने से बकाया निविदा अवधि तक की हुई समस्त हानि की वसूली वाहन ठेकेदार के बकाया परिवहन बिलों व धरोहर राशि इत्यादि से की जावेगी एवं यदि इसके बाद में भी राशि बकाया निकलती है तो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित वसूली की कार्यवाही करेगा।

(35) प्राकृतिक विपदा व हड़ताल जैसे कारणो से अथवा अन्य किसी कारणवश वाहन का उपयोग नहीं किया जाता है तो किसी भी प्रकार का भुगतान छत्तीसगढ़ राज्य दुग्ध महासंघ मर्यादित द्वारा देय नहीं होगा।

(36) बूथ, एजेंट अथवा दुग्ध वितरक से तात्पर्य मार्ग मे वर्तमान मे चल रहे प्वाइन्ट, बूथ, वितरण केन्द्र तथा भविष्य में महासंघ द्वारा प्रारंभ किये जाने वाले प्वाइंट से होगा। उनको आवश्यकतानुसार घटाया/बढ़ाया जा सकेगा।

(37) वाहन ठेकेदार को छत्तीसगढ़ राज्य दुग्ध महासंघ मर्यादित द्वारा बूथ एजेंट, वितरक, संस्था आदि के लिए प्रदायित दूध/दुग्ध पदार्थ प्रदाय करना होगा। दुग्ध वितरण वाहन ठेकेदार को अपने स्तर पर मॉग वितरण मे परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

(38) बूथ एजेंट/एजेंसी/वितरक/संस्था को दूध देने के पश्चात मात्रा प्राप्ति की रसीद वाहन ठेकेदार को संबंधित से लेकर छत्तीसगढ़ राज्य दुग्ध महासंघ मर्यादित के अधिकृत प्रतिनिधि को देनी होगी। प्राप्ति की रसीद बूथ एजेंट/एजेंसी/वितरक/संस्था के हस्ताक्षरयुक्त नहीं होने पर यदि दूध/दुग्ध पदार्थ की मात्रा के संबंध में विवाद हुआ तो अंतर की राशि वाहन ठेकेदार से वसूल की जावेगी।

प्रबन्ध संचालक
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या.

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित

क.	मार्ग क्र.	मार्ग विवरण	अनुमानित दूरी किलो.	भार क्षमता टन	शहर
1.	1	उरला – रायपुर – उरला सुबह पाली प्रथम वाहन	80	2.0	रायपुर शहर एवं आस-पास
2.	2	उरला – रायपुर – उरला शाम पाली प्रथम वाहन	70	1.5	रायपुर शहर एवं आस-पास
3.	3	उरला-भिलाई-सी.आई.एस.एफ.-आर.टी.सी.-उताई-उरला	70	1.5	भिलाई टाउन, सेक्टर, उतई क्षेत्र, पाटन
4.	5	उरला – भिलाई – दुर्ग – उरला	120	1.5	भिलाई, दुर्ग, नगपुरा, बोरई
5.	13	उरला--चन्द्रखुरी--महासमुंद--बागबहरा--उरला	310	2.0	माना, मंदिर हसौद, चन्द्रखुरी, आरंग, महासमुंद
6.	14	नदी मोड – सराईपाली – नदी मोड	252	1.0	तुमगांव, पिथौरा, साकरा, बसना, सराईपाली
7.	15	जगदलपुर स्थानीय	100	2.0	जगदलपुर शहर
8.	16	जगदलपुर – किरंदुल – जगदलपुर	285	2.0	जगदलपुर, किरंदुल
9.	23	बिलासपुर स्थानीय (सुबह एवं शाम)	30	500 kg.	कोनी [illegible]पारा-कोनी-(दोनो पाली)
10.	26	जगदलपुर--कोबरा बटालियन 201,204 करनपुर	26	500 kg.	जगदलपुर क्षेत्र
11	30	कोरबा – चांपा – कोरबा	84	1.5	बाराद्वार, सक्ती
12.	31	अंबिकापुर स्थानीय	100	1.0	अंबिकापुर शहर एवं आस-पास
13	36	रायगढ़	100	1.5	रायगढ़ शहर
14	39	उरला--कुशालपुर--माना--नया रायपुर--उरला	110	2.0	रायपुर शहर एवं नया रायपुर
15	40	कटघोरा – बैकुन्ठपुर	296	2.0	कटघोरा – बैकुन्ठपुर
16.	41	उरला--भिलाई--जामुल--वैशाली नगर एवं आस--पास क्षेत्र--उरला	70	2.0	उरला भिलाई--जामुल--उरला
17.	42	दूबछोला--चिरमिरी	65	1.0	दूबछोला--चिरमिरी
18.	43	अंबिकापुर से सूरजपुर	100	500 kg.	अंबिकापुर से सूरजपुर

नोट :–

1. उपरोक्त सभी दुग्ध मार्गो में आवश्यकतानुसार दूरी घटायी/बढ़ायी जा सकेगी, जो कि निविदाकार को मान्य होगा।
2. वाहन माडल वर्ष 2016--17 के पश्चात् को प्राथमिकता दी जावेगी।
3. बंद लिफाफे के उपर निविदाकार का नाम व पता, वाहन क्रमांक एवं मार्ग लिखा जाना अनिवार्य हैं।

कार्यालय–छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित

ग्राम– उरला,पोस्ट –बी.एम.वाय.चरोदा जिला दुर्ग (छ.ग.)

।। निविदा फार्म वर्ष 2018–19 ।।

संदर्भ :–निविदा क्रमांक / 2982 / छगदुमसं / क्षेत्र संवा / TEN. 2018–19 लेटर / 2018 उरला, दिनांक 13.07.2018

निविदाकार का फोटो

प्रति,

प्रबन्ध संचालक,
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या.,
ग्राम–उरला, पोस्ट–बी.एम.वाय.चरोदा, जिला–दुर्ग (छ.ग.)

महोदय,

मैंने आपके कार्यालय द्वारा जारी दुग्ध विपणन परिवहन निविदा एवं संबंधित अनुबन्ध की शर्तें पढ़ ली है। यदि यह निविदा स्वीकृत की जाती है, तो मैं आवश्यक अनुबंध करने को तैयार हूँ। अमानत राशि रू. 5000/ (अक्षरी पाच हजार रूपये मात्र) की डी.डी./नगद तथा उपलब्ध वाहनों की संख्या का शपथपत्र निविदा प्रति के साथ आवश्यक रूप से संलग्न है। निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में अपना वाहन नियत दिनॉक एवं समय पर उपलब्ध कराउँगा। वांछित जानकारी निम्नानुसार है–

(1) निविदाकार का नाम ....

(2) पिता का नाम ....

(3) स्थायी पूरा पता ....
....

(4) दूरभाष / मोबाईल नंबर ....

(5) निविदा विवरण :–

मार्ग का विवरण	अनुमानित दूरी (मार्ग विवरण में दर्ज अनुसार लिखें)	वाहन का प्रकार	वाहन क्षमता	मॉडल	वाहन क्रमांक	सामान्य वाहन दर रू. प्रतिकिलोमीटर / प्रति ट्रिप	इन्सुलेटेड वाहन दर रू. प्रतिकिलोमीटर / प्रति ट्रिप

(10) वाहन के वैध पंजीयन, अद्यतन बीमा, फिटनेस एवं परमिट सर्टिफिकेट इत्यादि कागजातों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न है ।

(11) बैंक पास बुक की छायाप्रति एवं पेन कार्ड नंबर ....
(छायाप्रति संलग्न हैं)

निविदाकार के हस्ताक्षर

निविदाकार का नाम ....
फोन नंबर ....
मोबाइल नंबर ....

।। घोषणा पत्र ।।

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण सत्य है। मुझे छ0ग0 राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ की सभी शर्तें मान्य हैं। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी त्रुटिपूर्ण पाई जाती है तो दुग्ध महासंघ का निर्णय अंतिम एवं मुझे मान्य होगा।

निविदा प्रस्तुतकर्ता के हस्ताक्षर

निविदाकार का पूरा नाम : ....

पता : ....

....

मोबाईल नंबर : ....

हस्ताक्षर निविदा कमेटी सदस्य

1 .... 2 .... 3 ....

4 .... 5 .... 6 ....

7 .... 8 .... 9 ....

फोटो द्वितीय पक्ष

दुग्ध विपणन कार्य हेतु अनुबन्ध

यह अनुबंध पत्र आज दिनांक .... को लिखा गया जिसका प्रथम पक्ष छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित उरला बी.एम.वाय. चरोदा जिला दुर्ग एवं द्वितीय पक्ष श्री/श्रीमती .... है। पिता/पति श्री.............................. निवासी..............................

यह अनुबन्ध उभय पक्षकारों के बीच दुग्ध विपणन मार्ग कमांक .... मार्ग विवरण .... द्वितीय पक्ष/वाहन ठेकेदार/की वाहन कमांक.............................. माडल .... भार वाहन क्षमता.............................. टन, रूपये .... शब्दों में .... प्रति कि.मी./प्रति पाली की दर से अनुमानित दूरी .... कि.मी. आज दिनांक .... जो निम्नलिखित शर्तों पर दुग्ध विपणन कार्य हेतु निष्पादित किया गया :–

(1) यह अनुबन्ध अवधि दिनांक .... से .... तक रहेगा । प्रथम पक्ष को यह अवधि इन्हीं शर्तों के अधीन तीन माह तक बढ़ाने का अधिकार होगा। आपसी सहमति से यह अवधि एक वर्ष तक और बढ़ायी जा सकती है।

(2) इन शर्तों को दुग्ध विपणन परिवहन ठेके की शर्तें कहा जायेगा। शर्तों में जहां – जहां महासंघ शब्द आयेगा, उसका तात्पर्य छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या. उरला, जिला दुर्ग माना जावेगा । डेयरी का तात्पर्य छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ के अंतर्गत मुख्य संयंत्र उरला एवं अन्य संयंत्र बिलासपुर, रायगढ़, जगदलपुर, जशपुर, अम्बिकापुर, बैकुंठपुर से होगा।

(3) द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबन्ध निष्पादन के पूर्व प्रतिभूति राशि/जमानत राशि रूपये 15000/– (अक्षरी रूपये पंन्द्रह हजार मात्र) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या. उरला, जिला दुर्ग में ड्राफ्ट अथवा नगद रूप में जमा करना होगा, इस राशि पर किसी भी प्रकार का कोई ब्याज देय नहीं होगा । निविदा के साथ जमा की गई रूपये 5000/– की अर्नेस्ट मनी उपरोक्त जमानत राशि में समायोजित की जावेगी। इस प्रकार महासंघ के पास द्वितीय पक्ष की कुल 20,000/– की राशि सुरक्षा राशि के रूप में जमा रहेगी जिसपर कोई ब्याज देय नहीं होगा। इस राशि की वापसी हेतु अनुबन्ध अवधि की समाप्ति पर विपणन शाखा, लेखा शाखा, सुरक्षा अनुभाग, वितरक एवं अन्य संबधितो से अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त कर संलग्न करते हुये आवेदन महासंघ में प्रस्तुत करना होगा। लेनदारी/देनदारी का समायोजन अंतिम देयक से प्रथम पक्ष द्वारा तीन माह के अंदर किया जायेगा। द्वितीय पक्ष को अनुबन्ध समय समाप्त होने या अन्य वजह से अनुबन्ध समाप्त होने पर एक माह के भीतर मार्ग के संबंधित इकाइयों से अदेय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

(4) प्रथम पक्ष के निर्देशानुसार प्रतिदिन सुबह/शाम एक पाली अथवा दोनो पाली में निर्धारित समय पर वाहन लोडिंग हेतु संबधित संयंत्र/स्थान पर लगाकर समय पर वितरण संपन्न कराना तथा खाली केट/कैन नियमित रूप से संयंत्र/शटल पाईंट तक लाना व्दितीय पक्ष की जवाबदारी होगी । इस हेतु महासंघ द्वारा समय समय पर आवश्यकता अनुसार दी गई निर्धारित समय सारणी ठेकेदार (द्वितीय पक्ष) को मान्य होगी ।

(5) वाहन ठेकेदार को यह शपथ पत्र देना होगा कि उसका कोई रिश्तेदार/संबंधी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या. में किसी भी पद पर कार्यरत नहीं है।

(6) किसी भी कारण से यदि विपणन मार्ग पर दुग्ध विपणन कार्य बंद रहता है तो द्वितीय पक्ष को महासंघ से कोई भाड़ा नहीं दिया जायेगा व इसकी सूचना समय पर कर दी जायेगी।

(7) मार्ग की दूरी महासंघ के अधिकारी व वाहन ठेकेदार/उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति मे सत्यापित की जावेगी। यदि वाहन ठेकेदार या प्रतिनिधि समय पर नहीं आते है, तो अधिकारी द्वारा सत्यापित दूरी मान्य होगी।

(8) वाहन ठेकेदार किसी भी प्रकार की हडताल या बन्द में सम्मिलित नही हो सकेगा। दुग्ध परिवहन नियमित रूप से करना होगा। ऐसा न होने की स्थिति में सम्पूर्ण हानि की जवाबदारी ठेकेदार की रहेगी।

(9) महासंघ के कार्य हेतु महासंघ के अधिकृत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यकता पड़ने पर वाहन में ले जाना होगा ।

महासंघ की सामग्री के अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा सामान एवं सवारी दूध वाहन में नहीं ले जाया जायेगा। महासंघ के अधिकारी द्वारा निरीक्षण एवं जॉच के समय यदि उपरोक्त अनियमितता पायी गयी तो उस पाली का भाड़ा महासंघ द्वारा देय नहीं होगा। लगातार तीन बार शिकायतें रहती है, तो वाहन बंद कर जमा अमानत राशि राजसात की जावेगी एवं आगामी दो वर्षों तक महासंघ की निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जा सकेगा।

(11) मार्ग पर विक्रय केन्द्रों/संस्थाओं को महासंघ द्वारा भेजे जाने वाले सामानों को लाने अथवा ले जाने के लिए एवं उसका ठीक हिसाब रखने हेतु द्वितीय पक्ष बाध्य होगा ।

(12) द्वितीय पक्ष द्वारा जो कर्मचारी वाहन पर नियुक्त किये जायेंगे, वे महासंघ के निर्देशानुसार कार्य करेंगे । लापरवाही बरते जाने पर महासंघ के आदेशानुसार ठेकेदार को उन पर कार्यवाही कर उन्हें कार्य से अलग करना होगा। ऐसा न करने पर महासंघ ठेका निरस्त कर सकता है।

(13) द्वितीय पक्ष का कार्य संतोषप्रद नहीं पाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में निविदा निरस्त की जा सकती है, व संपूर्ण प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी ।

(14) द्वितीय पक्ष बिना महासंघ की अनुमति के विपणन कार्य हेतु वाहन नहीं बदल सकता व वाहन खराब होने की स्थिति में केवल एक दिन के लिए बिना अनुमति के वाहन बदल सकेगा । इसके अतिरिक्त यदि वाहन की मरम्मत में एक दिन से अधिक का समय लगता है तो महासंघ की लिखित अनुमति से ही उस अवधि तक के लिए दूसरा वाहन चला सकता है। ठेके की अवधि में यदि किसी दिन वाहन दूध वितरण करने में असफल रहता है तो वास्तविक नुकसान तथा जुर्माना रू. 1000/-- तक किया जा सकता है एवं अतिरिक्त व्यवस्था पर किया गया पूर्ण व्यय वाहन ठेकेदार से वसूल होगा। द्वितीय पक्ष मार्ग पर अनुबंधित वाहन का ही उपयोग करेगा । बिना अनुमति के वाहन बदलने पर निराकरण न होने की दशा में देयक से 50 प्रतिशत राशि कटौत्रा की जायेगी एवं समस्त हर्जाने का जिम्मेदार द्वितीय पक्ष होगा ।

(15) द्वितीय पक्ष को प्रतिमाह दो बार देयकों का भुगतान किया जायेगा । प्रथम पखवाड़े का देयक दिनांक 20 को एवं द्वितीय पखवाड़े का देयक प्रत्येक माह की 5 तारीख तक दिया जाना होगा ।

(16) वाहन पर कार्यरत कर्मचारी द्वारा विक्रय केन्द्र संचालकों, संस्था प्रतिनिधि, महासंघ के कर्मचारियों व अन्य के साथ अभद्र व्यवहार किये जाने पर महासंघ द्वारा निर्देशित कार्यवाही द्वितीय पक्ष को करनी होगी । कार्यवाही नहीं करने की दशा में प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी । वाहन ठेकेदार अथवा वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों द्वारा मार्ग में विक्रय केन्द्रों के कर्मियों, अन्य व्यक्तियों/कर्मचारियों से किसी तरह का नगद लेन-देन नहीं किया जावेगा । इसके उपरांत यदि लेन-देन किया जाता है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी वाहन ठेकेदार की होगी ।

(17) महासंघ एवं संयंत्रों द्वारा दी गई दैनिक प्रतिपाली डाक, चालान आदि नियमित रूप से ले जानी, लानी होगी ।

(18) द्वितीय पक्ष अनुबन्ध अवधि में यदि ठेके हस्तांतरण करना चाहेगा तो प्रबन्ध संचालक की अनुमति से रूपये 5000/-- (अक्षरी रूपये पांच हजार मात्र) हस्तांतरण शुल्क महासंघ कार्यालय में जमा कर स्वीकृत दर पर वाहन की स्वीकृत क्षमता, अनुबन्ध की शर्त मान्य करने वाले अन्य व्यक्ति को जिसके नाम से वाहन हो, अनुबन्ध की शेष अवधि के लिए अनुबन्ध की शर्तों को मान्य कराते हुए हस्तांतरित कर सकेगा । इस प्रकार के हस्तांतरण की कार्यवाही 10 दिन पूर्व कार्यालय में उपस्थित होकर सम्पन्न करना होगा । अनुबंध से प्रथम तीन माह तक ठेका हस्तातंरण की अनुमति नहीं दी जावेगी।

(19) दुग्ध वाहन में गर्मी एवं वर्षा से बचाव के लिए द्वितीय पक्ष को वाहन पर हुड एवं त्रिपाल/तालपत्री लगाना अनिवार्य होगा। हूड एवं त्रिपाल/तालपत्री के ना होने पर प्रबन्ध संचालक को विवेकानुसार पेनाल्टी करने का अधिकार होगा।

(20) रास्ते मे मिलावट करते हुए/दूध बेचते हुए/चोरी करते हुए पकड़े जाने पर नुकसान की वसूली एवं जुर्माना किया जावेगा। ऐसी गलती दोबारा होने पर ठेका निरस्त कर धरोहर राशि जब्त की जा सकेगी। दस्तावेजों में कोई भी हेराफेरी करने पर ठेका निरस्त कर भरपाई वाहन ठेकेदार से की जावेगी।

(21) द्वितीय पक्ष के वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों के विरूद्ध सरकारी कानून के अनुसार की जाने वाली कार्यवाही की जवाबदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी व इस वजह से महासंघ या इसकी किसी इकाई/संस्था को हानि होगी, वह द्वितीय पक्ष से वसूल की जावेगी ।

(22) डेयरी की परिधि के अन्दर आने वाली वाहन निर्धारित रफ्तार से ज्यादा गति से नहीं चलाई जावेगी, न ही डेयरी परिधि में वाहन की साफ सफाई की जायेगी । इसी प्रकार द्वितीय पक्ष के वाहन ठेकेदार/हेल्पर द्वारा प्लांट परिसर में अनुशासन भंग कार्य किये जाने पर प्रथम पक्ष को स्वविवेकानुसार पेनाल्टी करने का अधिकार होगा।

(23) स्वीकृत दर अनुबंधित अवधि में लागू रहेंगे । ठेकेदार को अनुबन्ध अवधि में वाहन हेतु उपयोग में आने वाले डीजल/आईल की व्यवस्था किसी भी परिस्थितियों में स्वयं करनी पड़ेगी । इसके लिए किसी प्रकार से व्यवस्था की जवाबदारी महासंघ की नहीं रहेगी । अनुबंधित वाहन में ईंधन के रूप में डीजल का ही प्रयोग किया जावेगा। यदि वाहन ठेकेदार द्वारा घासलेट, मिलावटी डीजल या गैस से वाहन चलाया जाता है एवं इस कारण शासन द्वारा वाहन जब्त किया जाता है तो वाहन ठेकेदार को विपणन के लिए अन्य वाहन की व्यवस्था करनी

होगी। यदि महासंघ स्तर से वाहन व्यवस्था स्थानीय बाजार से की जाती है, तो उसमें होने वाले अतिरिक्त व्यय की वसूली द्वितीय पक्ष से की जावेगी तथा अनुबंध समाप्त एवं प्रतिभूति राजसात की कार्यवाही भी की जा सकेगी।

अनुबन्ध अवधि में डीजल की दर में वृद्धि/कमी होने पर आपसी चर्चा द्वारा अनुपातिक दर से वृद्धि/ कमी की गणना निम्नानुसार की जावेगी।

वाहन का प्रकार	औसत कि.मी. प्रति लीटर डीजल
जीप	15
टाटा ए.सी.ई.	22
महेन्द्रा मैक्स	15
डी.आई. 207	15
पिकअप	15
टाटा 407	10

इस प्रकार औसत कि.मी. पर डीजल दर वृद्धि/कमी से राशि की गणना तदानुसार वाहन की दरों में वृद्धि/कमी दिनांक से प्रति कि.मी. वृद्धि या कमी की जावेगी।

(24) द्वितीय पक्ष यदि अनुबंध अवधि के बीच में ठेका/अनुबंध समाप्त करना चाहेगा तो उसे महासंघ को तीन माह पूर्व लिखित में सूचना देना होगा। यदि तीन माह पूर्व की सूचना नहीं दी जाती है तो प्रबन्ध पक्ष को द्वितीय पक्ष की प्रतिभूति राशि राजसात करने का अधिकार होगा ।

(25) द्वितीय पक्ष को वाहन के साथ कम से कम एक कर्मचारी वाहन चालक के अतिरिक्त रखना होगा जो सामान उतारने एवं चढ़ाने हेतु सहायता एवं सामान की देख रेख करेगा। दुग्ध परिवहन वाहन पर रखे गये वाहन चालक, परिचालक की उम्र 18 वर्ष से कम न हो तथा वह लाइसेंसशुदा हो। कर्मचारी के नाम एवं पूर्ण पता फोटो सहित महासंघ को लिखित में देना होगा एवं वाहन चालक के पास मोबाईल होना अनिवार्य आवश्यक होगा। यदि अनुबंधित वाहन मार्ग पर किसी कारण से विलम्ब होती है तो उसकी सूचना संबंधित मार्ग पर्यवेक्षक एवं आगे के विक्रय केन्द्रों/संस्थाओं को उनके सम्पर्क नंबरों पर अवगत कराना होगा।

(26) बूथ एजेंट/एजेंसी/वितरक/संस्था को दूध देने के पश्चात मात्रा प्राप्ति की रसीद वाहन ठेकेदार को संबंधित से लेकर छत्तीसगढ़ राज्य दुग्ध महासंघ मर्यादित के अधिकृत प्रतिनिधि को देनी होगी। प्राप्ति की रसीद बूथ एजेंट/एजेंसी/वितरक/संस्था के हस्ताक्षरयुक्त नहीं होने पर यदि दूध/दुग्ध पदार्थ की मात्रा के संबंध में विवाद हुआ तो अंतर की राशि वाहन ठेकेदार से वसूल की जावेगी।

(27) महासंघ को निर्धारित मार्ग को बढ़ाने, घटाने या पुर्नसंरचित करने का अधिकार रहेगा। इस तरह जितना भी दूरी बढ़े या घटे उसमें निर्धारित दर से भाड़ा घटाया अथवा बढ़ाया जा सकेगा ।

(28) उपरोक्त शर्तों का पालन करने तथा महासंघ द्वारा समय-समय पर दिये गए निर्देशों/आदेशों और सूचनाओं का पालन करने हेतु ठेकेदार बाध्य होगा, अन्यथा कभी भी ठेका निरस्त करने का अधिकार महासंघ को होगा तथा प्रतिभूति की राशि राजसात की जा सकेगी ।

(29) वाहन लगाने से पूर्व आवश्यक विज्ञापन पेन्ट करवाकर संबंधित अधिकारी को वाहन की हालत चेक करवानी होगी। इनकी स्वीकृति के पश्चात ही वाहन लगाया जा सकेगा। विज्ञापन निर्धारित अवधि तक नहीं लगवाने पर रू. 100.00 प्रतिदिन आर्थिक दण्ड भी लगाया जावेगा। नान इन्सुलेटेड वाहन में हुड/त्रिपल लगाना आवश्यक होगा, इसके अभाव में होने वाली क्षति की पूर्ण जिम्मेदारी व जवाबदारी द्वितीय पक्ष की होगी। यदि हुड/त्रिपाल की व्यवस्था नहीं की जाती है, तो रू. 100.00 प्रतिदिन की दर से अर्थिक दण्ड लगाया जावेगा।

(30) प्रबंध संचालक को महासंघ के हित में यह अधिकार होगा की वह परिवहन ठेके को आवश्कता न पड़ने पर बिना कोई कारण बताये एक माह के नोटिस पर निरस्त कर सके ।

(31) एक्सीडेन्ट एवं अन्य परिस्थितियों में ठेके के अन्तर्गत कार्यरत वाहन उसमें परिवहन की जाने वाली सामग्री अगर पुलिस द्वारा जब्त कर ली जाती है तो ऐसी स्थिति में होने वाले नुकसान की या तीसरे पक्ष को होने वाली क्षति की पूर्ति की पूर्ण जवाबदारी वाहन के ठेकेदार की होगी एवं महासंघ के सामान के क्षति की राशि की वसूली वाहन ठेकेदार से की जायेगी । साथ ही दुर्घटना के कारण होने वाली सभी देनदारियॉं/मुआवजा की जवाबदारी अकेले द्वितीय पक्ष पर ही होगी।

(32) अनुबंध निष्पादन के पश्चात् द्वितीय पक्ष को अनुबंध की अवधि के दौरान समस्त श्रम विधान जो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या. पर लागू हो अथवा जो समय समय पर विधान द्वारा लागू किये जावेंगे मान्य होंगे। ऐसे सभी विधान के अंतर्गत ठेकेदार द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के संबंध में समस्त देय राशि जैसे ई. एस. आई. अधिनियम के अन्तर्गत ई.एस.आई. उपादान, भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत भविष्य निधि उपादान तथा वेतन भत्ता अधिनियम के अन्तर्गत वेतन आदि की जवाबदारी वाहन ठेकेदार की होगी । यदि द्वितीय पक्ष उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी प्रकार का भुगतान करने में असफल पाया जाता है अथवा उसके द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है तो समस्त लेनदारी उसके बिलों में से काटने का पूर्ण अधिकार प्रबन्ध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या. रायपुर को होगा एवं ऐसे कटौत्रा के लिये ठेकेदार स्वयं उत्तरदायी होगा । शासन द्वारा सेम्पल डिक्लेरेशन U/S 194 C(6) फार नाम डिक्लेरेशन आफ टैक्स एट सोर्स

भरकर जमा करना होगा। ठेका समाप्त होने पर वाहन ठेकेदार को समस्त देयताएं पूर्ण करने का शपथपत्र देना होगा ।

(33) अनुबन्ध की शर्तों को परिवर्तन करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा । कार्य सुविधा/व्यवहारिकता को ध्यान में रखते हुए अनुबन्ध की शर्तों मे परिवर्तन किया जा सकेगा, जिसकी पूर्ण सूचना द्वितीय पक्ष को दी जायेगी।

(34) इस अनुबन्ध एवं इसकी शर्तों में समय-समय पर छत्तीसगढ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या. के नियमों विनियमों एवं शर्तों के अनुसार परिवर्तित/परिवर्धित की जा सकती है जिससे द्वितीय पक्ष मानने को बाध्य होगा।

(35) इस अनुबन्ध पत्र के अन्तर्गत विषयों से संबंधित उभयपक्षों के मध्य उत्पन्न विवाद का निराकरण सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय द्वारा ही किया जायेगा ।

(36) अनुबंध करते समय द्वितीय पक्ष को स्टेट बैंक आफ इंडिया का बचत खाता कमांक एवं स्थायी खाता नंबर (पैन) कार्ड की सत्यापित छायाप्रति जमा करना आवश्यक होगा।

(37) वाहन चालक मद्यपान कर के वाहन न चलाए। वाहन चालकों की द्वितीय पक्ष द्वारा निरंतर चैकिंग की जाकर दोषियों को सेवा से पृथक किया जाना होगा।

(38) महासंघ के द्वारा जो भी निर्धारित दुग्ध विपणन मार्ग निश्चित किया गया है, उसी पर वाहन खाली/भरी चलावें, यदि सत्यापन के समय पाया गया कि वाहन निर्धारित मार्ग से नहीं चलाया जा रहा है, तो अधिकतम एक पाली के परिवहन का आर्थिक दण्ड किया जावेगा। साथ ही परिवर्तित मार्ग से जो दूरी कम होगी उसका सम्पूर्ण अनुबंध अवधि का कटौत्रा किया जावेगा।

(39) किसी दुग्ध संयंत्र में अवरोध होने पर विपणन वाहनों को निकट के अन्य संयंत्र पर अनुबंधित दर पर भेजा जा सकेगा।

(40) विशेष परिस्थितियों में अनुबंधित वाहन से कम क्षमता का वाहन चलाये जाने पर अनुबंधित दर में 20 प्रतिशत का कटौत्रा किया जावेगा। लेकिन किसी भी परिस्थिति में यह अवधि तीन दिवस से अधिक नहीं होगी। यदि इस अवधि में पुनः वाहन ठेकेदार द्वारा अनुबंधित क्षमता का वाहन नहीं लगाया जाता है, तो उसका अनुबंध निरस्त कर प्रतिभूति राशि राजसात की जा सकेगी।

(41) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनिमय 2006 या अन्य वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक होने पर लाईसेंस प्राप्त करने का उत्तरदायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। अनुबंध अवधि प्रारंभ होने के एक माह में लाईसेंस प्राप्त कर उसकी छायाप्रति दुग्ध महासंघ कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

(42) डेयरी परिधि में वाहन के कर्मचारी नहाने-धोने जैसे कार्य नहीं करेंगे। यदि ऐसा किया जाता है तो महासंघ द्वारा जो निर्धारित दण्ड किया जावेगा उसका द्वितीय पक्ष देनदार रहेगा ।

(43) द्वितीय पक्ष अपना वारिस श्री/श्रीमती/कु. .... संबंध .... उम्र .... को पूर्ण होशोहवास में नामांकित घोषित करता है। द्वितीय पक्ष की मृत्यु उपरांत श्री/श्रीमती/कु. .... को महासंघ से व्यवहार करने का अधिकार रहेगा। इसकी स्वीकृति के वारिस के हस्ताक्षर करवा कर प्रथम पक्ष को द्वितीय पक्ष देगा।

(44) इस अनुबंध के अंतर्गत यदि कोई राशि महासंघ, इसकी इकाइयों, संस्थाओं, व्यवसायिक साझीदारों आदि की निकलेगी तो प्रथम पक्ष को द्वितीय पक्ष की चल/अचल सम्पत्ति से यह राशि वसूल करने का अधिकार होगा, इस प्रकार से की जाने वाली वसूली हेतु यदि कोई अतिरिक्त व्यय होता है तो उसके लिए भी द्वितीय पक्ष और उसका उत्तराधिकारी जिम्मेदार रहेंगे।

(45) वाहन का स्पीडो मीटर एवं सेल्फ स्टार्टर हमेशा चालू रहेगा, यदि यह खराब हो जाता है तो 24 घंटो में पुनः द्वितीय पक्ष द्वारा सुधरवाया जावेगा।

(46) वाहन पर कार्यरत कर्मचारी के विरूद्ध सहकारी/सरकारी कानून अनुसार की जाने वाली कार्यवाही की जवाबदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी एवं यदि इस कारण से महासंघ या अन्य को कोई हानि होगी तो द्वितीय पक्ष उसका जवाबदार रहेगा। साथ ही प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि इस कारण से द्वितीय पक्ष का अनुबध निरस्त कर दे एवं प्रतिभूति राशि राजसात कर लेवे।

(47) दुग्ध विपणन मार्ग पर पडने वाले टोल टेक्स निविदा दर में ही सम्मिलित हैं । जिन मार्गो पर नये टोल टेक्स प्रारंभ होगे, उनके लिए अलग से भुगतान किया जावेगा।

(48) समस्त विवादों के निपटारे के लिये न्यायिक कार्य क्षेत्र रायपुर (छ.ग.) होगा ।

(49) दुग्ध विपणन परिवहन हेतु अनुबंध की कंडिकाएं 01 से 48 तक मैने अपने पूर्ण होशोहवाश से पढ ली है जो मुझे मान्य एवं बाध्यकारी है ।

इस अनुबन्ध पत्र पर उभय पक्ष द्वारा आज दिनांक .... को दो गवाहों के समक्ष हस्ताक्षर किये गये तथा प्रतिभूति राशि 15000/ (अक्षरी पंन्द्रह हजार रूपये मात्र) मात्र छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या. उरला जिला दुर्ग के कार्यालय में रसीद क्रमांक .... दिनांक .... को बैंक ड्राफ्ट/नगद द्वारा जमा किया गया ।

मैं .... द्वितीय पक्षकार अनुबंध की कंडिकाओं का अवलोकन भलि भांति एवं पूर्ण होशोहवास में कर लिया है एवं निम्न साक्षियों के समक्ष प्रथम पक्ष से अनुबंध निष्पादित करता हूं।

हस्ताक्षर

प्रबन्ध संचालक
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या.

हस्ताक्षर

अनुबन्धकर्ता
नाम ....
पता ....
....
....

गवाह प्रथम पक्ष

1– हस्ताक्षर..
नाम ....
पता ....
....

2– हस्ताक्षर..
नाम ....
पता ....

गवाह द्वितीय पक्ष

1–हस्ताक्षर..
नाम ....
पता ....
....

2–हस्ताक्षर..
नाम ....
पता ....

अनुबंधकर्ता द्वितीय पक्ष द्वारा नामांकित उत्तराधिकारी ....

द्वितीय पक्ष से संबंध ....

नामाकिंत उतराधिकारी के हस्ताक्षर-- ....

नामाकिंत उतराधिकारी का स्थायी आयकर खाता क्रमांक (पेन नं.)--